

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग

क्रमांक प. 9(1)प्रसु/अनु-1/2020

जयपुर दिनांक: 05.11.2020

लिंक अधिकारी आदेश

इस विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 22.07.2017 की निरंतरता में प्रशासनिक सुधार विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग एवं मुद्रण लेखन सामग्री विभाग के निदेशक, संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिवगणों हेतु निम्नानुसार लिंक अधिकारी निर्धारित किए जाते हैं-

| क्र.स. | अधिकारी का नाम                                   | लिंक अधिकारी                          |
|--------|--|---------------------------------------|
| 1.     | निदेशक, लोक सेवायें                              | अतिरिक्त निदेशक, लोक सेवायें          |
| 2.     | संयुक्त शासन सचिव, प्रसुवि-1                     | संयुक्त शासन सचिव, प्रसुवि-3          |
| 3.     | संयुक्त शासन सचिव, प्रसुवि-3                     | संयुक्त शासन सचिव, प्रसुवि-1          |
| 4.     | संयुक्त शासन सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग | संयुक्त शासन सचिव, प्रसुवि-1          |
| - 5.   | अतिरिक्त निदेशक, लोक सेवायें                     | संयुक्त शासन सचिव, प्रसुवि-3          |
| 6.     | उप शासन सचिव, प्रसुवि-2                          | उप शासन सचिव, प्रसुवि-टाइम्स          |
| 7.     | उप शासन सचिव, प्रसुवि-4                          | उप शासन सचिव, प्रसुवि-टाइम्स          |
| 8.     | उप शासन सचिव, प्रसुवि-5                          | उप शासन सचिव, प्रसुवि-टाइम्स          |
| 9.     | उप शासन सचिव, प्रसुवि-6                          | उप शासन सचिव, प्रसुवि-टाइम्स          |
| 10.    | उप शासन सचिव, प्रसुवि-7                          | उप शासन सचिव, प्रसुवि-टाइम्स          |
| 11.    | उप शासन सचिव, प्रसुवि-टाइम्स                     | उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग |
| 12.    | उप शासन सचिव, प्रसुवि-आर. टी.आई प्रकोष्ठ         | संयुक्त शासन सचिव, प्रसुवि-3          |
| 13.    | उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग            | अतिरिक्त निदेशक, लोक सेवायें।         |


उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के अवकाश पर होने अथवा पद रिक्त होने की स्थिति में लिंक अधिकारियों द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा। उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

-54-  
(अश्विनी भगत)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
2. संबंधित अधिकारीगण/अनुभाग।

  
संयुक्त शासन सचिव